if any, and to take remedial measures. The University authorities are attending to the problems.

Development of Parks in the various Sectors of Pitampura Residential Scheme

3704. SHRI PRADYUMNA BAL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total number of district and other parks in Pitampura Residential Scheme in Poorvi, Uttari and Dakshni sectors;

(b) how many such parks in each sector have since been developed; and

(c) the details of development work done in each park so said to be developed?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c). There is only one district park in Pitampura Residential Scheme. One portion of the park, measuring 3.5 acres, in front of Monkey Factory has been developed and is being maintained. The work of development of second portion of the park on the other side of the road has been taken up in hand. So far about 1000 trees and 500 flowering shrubs are reported to have been planted.

भागलपुर में केन्द्रीय स्कूल खोलना

3705 डा० रामजी सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 100 केन्द्रीय स्कूल खोलने का है और यदि हां, तो कब तक और इसके लिए क्या मापदण्ड अपनाया जायेगा ;

(ख) उस पर अनुमानतः कितना व्यय किये जाने का अनुमान है ;

(ग) भागलपुर में केन्द्रीय स्कूल खोलने के बारे सरकार कब अपना निर्णय घोषित करेगी ; और

(घ) क्या सरकार को इस बारे में भागलपुर विश्वविद्यालय से 10 एकड़ भूमि निःशुल्क देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका बरकटकी) : (क) जी, हां । सरकार ने 1979-80 से अगली 5 वर्षों की अवधि में सिविल और रक्षा क्षेत्रों में प्रति वर्ष 20 विद्यालयों के हिसाब से एक सौ केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निश्चय किया है । इन विद्यालयों के स्थानों के निर्धारीकरण के मानदंड अनुबन्ध में दिए गए हैं ।

(ख) इन 100 केन्द्रीय विद्यालयों का अनुमानित व्यय पांच वर्षों की अवधि के दौरान 21 करोड़ रुपये होगा ।

(ग) और (घ). सिविल तथा रक्षा क्षेत्रों में 100 स्कूल खोलने के अतिरिक्त कुछ स्कूल उच्च शिक्षण तथा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के परिसरों में भी खोले जायेंगे । इस प्रकार के स्कूल खोलने की प्रक्रिया मन्त्रिमंडल द्वारा निर्णय न किये जाने के कारण रुक गई थी । अब निर्णय ले लिया गया है और इस प्रकार के संगठनों के परिसरों में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के मानदंडों की एक प्रति भागलपुर विश्वविद्यालय को भेज दी गई है ताकि वह इन मानदण्डों के अनुसार अपना प्रस्ताव भेज सके ।

केन्द्रीय विद्यालय खोलते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है :—

(1) नए केन्द्रीय विद्यालय (सैंट्रल स्कूल्स) खोलने के प्रस्ताव पर विचार केवल तभी किया जाता है :—

(I) जब निम्नलिखित में से किसी एक से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं :—

(क) भारत सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग ।

(ख) राज्य सरकारें ।

(ग) संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन ।

(घ) पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों के संगठन [जैसा कि (III) में है] ।

(II) जब प्रायोजक अधिकारी द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को लगभग 15 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा मुफ्त उपलब्ध किया जाता है ।

(III) (क) जब रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों अथवा भारत सरकार के उपक्रमों के अलग अलग अथवा संयुक्त